

# फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

तहसीलदार मुकाम महवा

अरका बंगला अरेली, अमरासहे जू पांच्या जातेवनी

द्वारा 91.28 A4 नं. 330 तारीख 18

क्रमांक	दुसरा वा कार्यावली मय इतिहास जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस दुसरा की तामील में जारी हुए
15/2/18	<p>पहली हला की रिपोर्ट दुरु कर अतिकमी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी कर फतावली दिनांक 28.2.18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">तहसीलदार तहसील-महवा (दीसा)</p>	
28/2/18	<p>फतावली पेश हुई आवाज लखवड गड। अतिकमी काद लमिल अनुपस्थित रहे थे आज श्रीमान पीठासीन अधिकारी सुप्रीम पर ही फतावली दिनांक मध्याह्न में अतिकमी को पुनः नोटिस जारी कर फतावली दिनांक 9/3/18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><del>तहसीलदार</del></p>	
09/03/18	<p>आज फतावली पेश हुई। आवाज लखवड गड। अतिकमी उपस्थित आये हैं। अतिकमी द्वारा अतिकमी किशाना जमा स्वीकार किया है अतः ग्राम पीठलिया वालाजी की अतिकमी भूमि से अतिकमी को अधिक रूप से वेदावला किया जाता है। विस्तृत विवरण पृथक से लिखा जाकर संलग्न फतावली है।</p> <p style="text-align: right;">तहसीलदार तहसील-महवा (दीसा)</p>	<p>विशानी अमरासहे अरेली</p> <p>विशानी अमरासहे</p>

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

क्रमांक नम्बर 330/18 तारीख रज् 09/2/18 रिपोर्ट पटवारी हल्का दौसा बनाम  
 श्री अमरी, अमरी पुत्र पं. दया जाति सोनी निवासी पतिथालजी तहसील  
महवा

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 09/3/18

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि  
 उक्त श्री अमरी, अमरी ने ग्राम पतिथालजी को भूमि ख.न. 838 रकबा 0.02  
 किस्म खडी फसल रवि / खसीफ संवत 20 74 में खडी कर अतिक्रमण किया  
 है। इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956  
 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित  
 आया। उसके द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया उक्त जबाब में  
 उसके द्वारा अपने बचाव में कोई खास गवाह / सबूत प्रस्तुत नहीं किया है। मुताबिक रिपोर्ट  
 पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 838 रकबा 0.02  
 किस्म खडी वाके ग्राम पतिथालजी से बेदखल किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित  
 भूमि के वार्षिक लगान का 9-8800/50 गुणा 44क/ शस्ति से दण्डित किया जाता है।  
 तथा इस पर खडी फसल खडी को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।  
 भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खडी फसल को बस्ट / निलाम करने तथा  
 भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश  
 जारी हों। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे।  
 पत्रावली फसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। तहसीलदार महवा (दौसा)

रजिस्टर ग/घ को 65 पर  
 वर्ष 2017-18  
 की राशि 44क  
 की जमा कायमी 44क  
 दिनांक 21/3/18 लेखाकार  
 तहसील-महवा